बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषयः– **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(PM–JANMAN) के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि के चिन्हित 09 जनजाति के योग्य लाभुकों को केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ देने की स्वीकृति ।**

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों(PVTGs) यथा– असुर, बिरहोर, बिरजीया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरियापहाड़िया एवं सावर जनजाति के योग्य परिवारों के आवास की कमी को दूर करने तथा सभी को प्राथमिकता के तौर पर आवास का लाभ देने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(PM–JANMAN) योजना का कार्यान्वयन किया जाना है । इसके तहत चयनित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ दिया जायेगा। योजना कार्यान्वयन के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. **लाभुकों का चयन–** प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(PM–JANMAN) का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। इसके तहत राज्य के कुल 10 जिले यथा– बॉका, कैमूर(भभुआ), भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णियॉ एवं सुपौल में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति समुदाय के 09 जनजाति यथा– असुर, बिरहोर, बिरजीया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरियापहाड़िया एवं सावर चिन्हित है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रारम्भिक सूची में 1308 आवास विहीन परिवारों को अंकित किया गया है, जो सर्वेक्षण के अनुरूप परिवर्तनशील है । ऐसे योग्य परिवारों की पहचान हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षित परिवारों के सत्यापन के उपरांत आवास सॉफ्ट पोर्टल पर योग्य परिवारों को निबंधित करते हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(PM–JANMAN) के तहत आवास का लाभ दिया जायेगा।

2. **आवास निर्माण हेतु सहायता राशि का दर –** प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(PM–JANMAN) के तहत चिन्हित लाभुकों को आवास निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 2 लाख रूपये की सहायता राशि चार बराबर किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

3. **निधि की व्यवस्था –** प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की भॉति ही प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(PM–JANMAN) के तहत चिन्हित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ देने हेतु ग्रामीण विकास

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश (60 प्रतिशत) की विमुक्ति की जायेगी एवं अनुपातिक 40 प्रतिशत राशि की विमुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11013/2/2023-RH-Pol. दिनांक 14.12.2023 के अनुसार आवास का लाभ पाने हेतु अपात्रता मापदंड निम्नवत हैः–

- पक्के आवासों में रहने वाले परिवार ।
- परिवार के किसी सदस्य का सरकारी कर्मी होना ।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(क) वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(PM–JANMAN) के तहत चिन्हित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM–JANMAN) के तहत प्रारंभिक रूप से चिन्हित 1308 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ दिया जायेगा। सर्वेक्षण के दौरान पात्रता के अनुरूप चिन्हित लाभुकों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, जिसके अनुरूप वास्तविक रूप से चिन्हित योग्य परिवारों को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(PM–JANMAN) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गई है।

(ग) राज्य में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(PM–JANMAN) अंतर्गत चिन्हित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 2 लाख रूपये आवास निर्माण की प्रगति के साथ उनके बैंक खाता में FTO के माध्यम से अंतरण करने की स्वीकृति दी गई है ।

6. इस पर दिनांक 10.06.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–06 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

17/6/2025

ज्ञापांकः– 4204462 पटना, दिनांकः– 13/06/2025

ग्रा0वि0–5 / प्र0आ0यो0(PM–JANMAN)–102–08 / 2024

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 4204462 पटना, दिनांकः– 13/06/2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 4204462 पटना, दिनांकः– 13/06/2025

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / अध्यक्ष –सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार / सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 4204462 पटना, दिनांकः– 13/06/2025

प्रतिलिपिः– मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 4204462 पटना, दिनांकः– 13/06/2025

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव